



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष १०, अंक ७४(२)]

मंगळवार, ऑक्टोबर २२, २०२४/आश्विन ३०, शके १९४६

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक १०५

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)

वैधानिक नियम व आदेश; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क),

जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील

इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER MAHARASHTRA STATE

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,

Mantralaya, Mumbai 400 032, Dated 22nd October 2024

NOTIFICATION

No. BYE/2024/CR.54/24/XXXIII/Election-1.—In pursuance of sub-section (1) of Sections 149 and Sections 30 and 56 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951), the following are published for General Information:—

(१)

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road,

New Delhi 110 001, Dated 22nd October 2024
30 Ashvina, 1946 (Saka)**NOTIFICATION**

No. 100/MH-HP/1/2024.—WHEREAS, the seat of **Chavan Vasantrao Balwantrao**, in the House of the People, elected from 16-Nanded Parliamentary Constituency in the State of Maharashtra has become vacant on 26th August, 2024, by reason of his death; and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused.

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-section (1) of section 149, and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby—

(A) calls upon the said 16 - Nanded Parliamentary Constituency in the State of Maharashtra to elect, before the **25th November 2024 (Monday)** and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the House of the People;

(B) appoints, with respect to the said election,—

(a) the 29th October 2024 (Tuesday), as the last date for making nominations;

(b) the 30th October 2024 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 04th November 2024 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 20th November 2024 (Wednesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 25th November 2024 (Monday), as the date before which the election shall be completed; and

(C) fixes the hours from 7:00 A. M. to 6:00 P. M. as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

S. K. DAS,
Secretary,
Election Commission Of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड,

नई दिल्ली 110 001, दिनांक २२ अक्टूबर, 2024
30 आश्विन, 1946 (शक)

अधिसूचना

सं. 100/महा.-लो.स./1/2024.—यत; महाराष्ट्र राज्य में 16-नांदेड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन चव्हाण वसंतराव बलवंतराव की सीट उनके मृत्यु होने के कारण 26 अगस्त 2024 को रिक्त हो गई है; और

(2) यत: इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;

(3) अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उप-धारा (1) और धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा—

(अ) महाराष्ट्र राज्य में उक्त 16-नांदेड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अपेक्षा करता है कि वे **25/11/2024 (सोमवार)** से पूर्व और उक्त अधिनियम के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार, लोक सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दें;

(ब) उक्त निर्वाचन के संबंध में नियत करता है,—

(क) नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर 2024 (मंगलवार);

(ख) नाम-निर्देशन की संवीक्षा की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2024 (बुधवार);

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 04 नवम्बर 2024 (सोमवार);

(घ) वह तारीख जिस तारीख को, यदी आवश्यक हुआ तो मजदान कराया जाएगा-20 नवम्बर 2024 (बुधवार); और

(ङ) वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा 25 नवम्बर 2024 (सोमवार);

(स) पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक का समय, ऐसे समय के रूप में निर्धारित करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान कराया जाएगा।

आदेश से,

एस. के. दास,

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

क्रमांक बीवायई (लोक)-२०२४/प्र.क्र. ५४/२४/३३, निवडणूक-१
सामान्य प्रशासन विभाग
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२४.

प्रत, माहिती व योग्य कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :-

- (१) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई.
- (२) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद.
- (३) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, नांदेड.
- (४) निवडनस्ती.

म. रा. पारकर,
उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी,
महाराष्ट्र राज्य.